६. नौकरशाही

जिलाधिकारी ने जमाबंदी का आदेश दिया ।

नगर निगम आयुक्त ने आय-व्यय पत्रक प्रस्तुत किया ।

वित्त सचिव ने त्यागपत्र दिया ।

क्षेत्रीय आयुक्त राजस्व की समीक्षा करेंगे ।

उपर्युक्त तालिका में जिलाधिकारी, नगर निगम आयुक्त, वित्त सचिव, क्षेत्रीय आयुक्त इन पदों का उल्लेख है । सरकार की प्रशासन व्यवस्था में यह प्रशासनिक अधिकारी होते हैं । वे क्या करते हैं ? ऐसा प्रश्न आपको जरूर महसूस हुआ होगा ?

कार्यकारी मंडल की भूमिका को स्पष्ट करनेवाले प्रकरण में हमने यह देखा कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल नया कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार करते हैं और नीति निर्धारण करते हैं । सरकारी नीतियों को प्रत्यक्ष रूप में क्रियान्वित करनेवाली और कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में काम करने वाली इस प्रशासकीय व्यवस्था को 'नौकरशाही' कहा जाता है । प्रस्तुत पाठ में हम नौकरशाही के महत्व का अध्ययन करेंगे ।

किसी भी देश की शासन संस्था को मूलतः दो प्रकार के कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं ।

(१) देश का विदेशी आक्रमणों और आंतरिक सुरक्षा विषयक खतरों से संरक्षण करते हुए नागरिकों की रक्षा करना ।

(२) नागरिकों को विविध प्रकार की सेवा प्रदान करके उनके दैनिक जीवन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाना, जिससे वे अपनी और समाज की प्रगति कर सके ।

इसमें से, प्रथम कार्य के लिए देश की रक्षा व्यवस्था हमेशा सुसज्जित रहती है । ये सेवाएँ अंतर्गत सुरक्षा के लिए नागरी सेवा की मदद करती हैं । इन्हीं सेवाओं को हम 'सैन्य सेवा' कहते हैं । दूसरे कार्य के लिए प्रशासकीय व्यवस्था तैयार की जाती है, जिसे हम 'प्रशासनिक सेवा' कहते हैं । प्रशासकीय कर्मचारियों की इस व्यवस्था को हम 'नौकरशाही' भी कहते हैं ।

संसदीय लोकतंत्र में, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और मंत्रियों पर प्रशासकीय उत्तरदायित्व रहता है । विविध विभागों से सरकारी कार्य पूर्ण किए जाते हैं । प्रत्येक विभाग के लिए एक मंत्री होता है, जो उस विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है । जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मंत्रियों को अपने विभाग का प्रशासन जनहित को प्रधानता देकर चलाना आवश्यक होता है । मंत्री भले ही अपने विषय में विशेषज्ञ न हों, पर व्यापक जनहित क्या होता है ? इसका ज्ञान होना आवश्यक है । मंत्री के विभाग के सचिव उन्हें उचित परामर्श देते हैं । इन सचिवों की नियुक्ति प्रशासनिक सेवाओं द्वारा की जाती है । संसदीय प्रणाली में जनता की इच्छा और प्रशासनिक अनुभव इन दोनों में समन्वय रखा जाता है ।

नौकरशाही का स्व

- **स्थायी व्यवस्था –** इस बड़ी नौकरशाही द्वारा राजस्व जमा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, कानून और सुव्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जैसे कार्य निरंतर किए जाते हैं । इस कारण इसका स्वरूप स्थायी है । हर चुनाव के पश्चात नये प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सत्ता में आ सकता है परंतु उनके नियंत्रण में जो नौकरशाही होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसका स्वरूप स्थायी है ।

- **राजनी क स ि स् /राजनी स दूर :** नौकरशाही हमेशा राजनीति से दूर रहती है ।

इसका अर्थ यह है कि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, नौकरशाही को उस सरकार की नीतियों को पूरी कार्यक्षमता और निष्ठा से अमल में लाना चाहिए । प्रशासनिक कर्मचारी कोई राजनीति भूमिका या राजनीतिक मतानुसार काम न करें । चुनाव में हार जानेपर कोई दल सत्ता से दूर हो जाता है और दूसरा दल सत्ता में आ जाता है और वह पूर्ववर्ती सरकार की कुछ नीतियाँ बदल सकता है । ऐसी स्थिति में नौकरशाही का यह कर्तव्य है कि वह तटस्थ रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करे ।

• **अनातम्क्रि ा/अनामि ा :** अनामिकता/अनामता का अर्थ है किसी नीति की सफलता-असफलता के लिए सीधे नौकरशाही को उत्तरदायी न मानते हुए उसे अनामिक/अनाम रखना । अपने विभाग के प्रशासन को पूरी कार्यक्षमता से चलाने का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर होता है । किसी विभाग की अकार्यक्षमता के लिए उस विभाग के मंत्रियों को उत्तरदायी माना जाता है । विभाग की अनियमितता के लिए संसद उस विभाग के मंत्रियों को जिम्मेदार मानती है । इस संदर्भ में मंत्री स्वयं उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं और नौकरशाही की रक्षा करते हैं ।

भार्र नौकरशाही का व

भारत में नौकरशाही की संरचना बहुत ही व्यापक और पेचीदा है । स्वातंत्र्योत्तर समय से जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, उसे व्यवस्था ने प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया । आज हमें जो अच्छे सामाजिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिन नीतियों को क्रियान्वित करके सामान्य नागरिकों तक पहुँचाए गए हैं, इसमें भारतीय नौकरशाही का बड़ा योगदान रहा है । नौकरशाही से राज्य व्यवस्था को स्थिरता प्राप्त होती है । जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता, यातायात, स्वास्थ्य, कृषि सुधार, प्रदूषण पर रोक जैसी कई सेवाएँ हमें बिना किसी रुकावट के निरंतर मिलती रहती हैं । जिससे समाज के दैनिक जीवन को स्थैर्य प्राप्त होता है ।

दूसरी बात यह है कि नौकरशाही भी समाज परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है । स्त्रियों का सशक्तीकरण, बच्चों की रक्षा, समाज के कमजोर वर्ग के लिए योजनाएँ आदि के विषय में सरकार जो कानून बनाती है, उसे प्रत्यक्ष रूप में लाने का कार्य नौकरशाही द्‌वारा किया जाता है । नीतियों को क्रियान्वित करने से ही समाज में परिवर्तन होता है ।

सामाजिक लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण है । आरक्षित स्थानों की नीति के कारण कई उपेक्षित समाज घटक मुख्य प्रवाह में शामिल हुए हैं । निर्णय प्रक्रिया में उनके सहभाग में वृद्‌धि हुई है । समाज का लोकतांत्रिकीकरण होने के लिए प्रगतिशील कानून और नीतियों की आवश्यकता के साथ कार्यकुशल नौकरशाही की भी आवश्यकता होती है ।

तन्क्र के : भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के तीन प्रकार हैं ।

(१) भार्रीय तन्क्र सेवाएँ : इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) का समावेश होता है ।

(२) य सेवाएँ : ये सेवाएँ केंद्र सरकार के अधीन होती हैं । भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय राजस्व सेवा (IRS) इन सेवाओं का केंद्रीय सेवाओं में समावेश रहता है ।

(३) राज्य सेवाएँ : ये सेवाएँ राज्य सरकार के अधीन होती हैं । उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार आदि प्रशासनिक अधिकारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है ।

भारतीय संविधान ने प्रशासनिक कर्मचारियों का चयन योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर करने के लिए संघ सेवा आयोग जैसी स्वतंत्र व्यवस्था का निर्माण किया है । संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए स्पर्धा परीक्षा लेकर उम्मीदवारों का चुनाव

करता है और सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) महाराष्ट्र की प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा उम्मीदवारों का चयन करता है और सरकार को उनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है ।

नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों को आरक्षण देकर इन सेवाओं में आने का अवसर प्रदान किया गया है । सामाजिक विषमता के कारण समाज के दुर्बल वर्ग प्रशासनिक सेवा से दूर न रहें, इसलिए यह प्रावधान किया गया है ।

और कम : मंत्री और उनके विभाग के कर्मचारी अथवा सचिव, उपसचिव इन पदों पर कार्य करनेवाले व्यक्तियों के संबंधों पर उन विभागों की कार्यकुशलता अवलंबित रहती है । मंत्री अपने विभागों से संबंधित निर्णय लेते हैं परंतु ये निर्णय लेने के लिए उन्हें प्रशासनिक अधिकारी सभी प्रकार की जानकारी देते हैं । प्रशासनिक कर्मचारियों का अर्थात नौकरशाही का जानकारी पर पूर्ण नियंत्रण होता है । किसी योजना के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है, इसे प्रशासनिक कर्मचारी ही बता सकते हैं । नीतियों की सफलता-असफलता की इन्हें जानकारी होती है । इसलिए मंत्री भी बड़ी मात्रा में प्रशासनिक कर्मचारियों पर निर्भर रहते हैं । अगर मंत्री इन प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ संवाद तथा पारस्पारिक संबंधों में विश्वास, पारदर्शिता रखते हैं तो उनके विभागों का प्रशासन पूरी कार्यक्षमता से चल सकता है ।

स ध

१. नर्मि कथर्ा ा बताकर नरि से नखिो ।

(१) संसदीय लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों और मंत्रियों पर प्रशासनिक उत्तरदायित्व रहता है ।

(२) संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) महाराष्ट्र में प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा द्वारा प्रत्याशियों का चयन करता है ।

२. नर्मि कथर्ा को कारण सनह्त करो ।

(१) प्रशासनिक सेवाओं में भी आरक्षित स्थानों की नीति है ।

(२) प्रशासनिक कर्मचारियों का राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहना क्यों आवश्यक है ?

३. नर्मि ि के उत्तर २५ से ३० नखिो ।

(१) विभाग का प्रशासन कार्यकुशलता से चलाने में मंत्री और प्रशासनिक कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट करो ।

(२) नौकरशाही से राज्य प्रशासन को स्थिरता किस प्रकार प्राप्त होती है, उसे स्पष्ट करो ।

४. नर्मि ा ॢ करो ।

से ा

....	केंद्रीय सेवाएँ	....
उदा.	उदा.	उदा.खंड विकास अधिकारी,तहसीलदार
....	....	

५. ाकिरशाह का करो ।

उपक्रम

तुम्हारे क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा में कार्यरत किसी अधिकारी का साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्नावली तैयार करो और साक्षात्कार लो ।

9H8Z85

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृतिग्रंथ

- सामान्य रयतेच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या स्वराज्य स्थापनेची कथा उलगडणारे पुस्तक.
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उत्तुंग कार्य व त्यामागची तेवढीच उत्तुंग व उदात्त भूमिका वाचकांसमोर आणणारे प्रेरणादायी वाचन साहित्य.
- इतिहास वाचनासाठी पूरक असे संदर्भ पुस्तक.

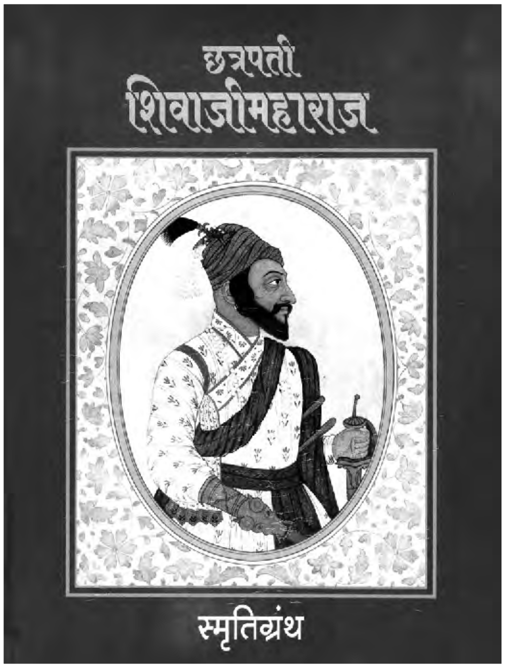

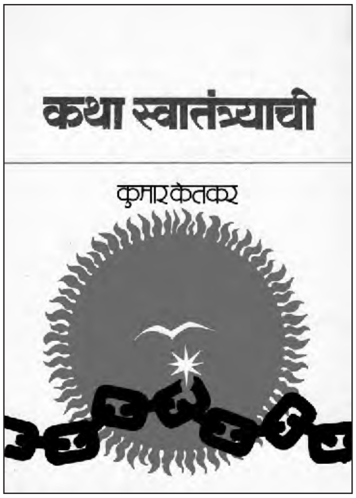

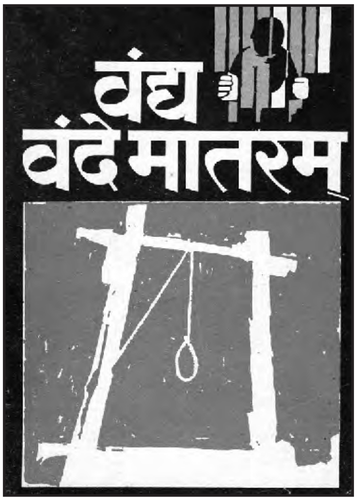

- इतिहास वाचनासाठी पूरक अशी संदर्भ पुस्तके.
- निवडक लेखक, इतिहासकारांचे प्रेरणादायी लेख.

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेतस्थळावर भेट द्या.

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर- ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७१८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९१५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२१७१, नागपूर - ☎ २५४७७१६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

इतिहास और नागरिकशास्त्र इ. ८ वी (हिंदी माध्यम)

₹ 42.00